

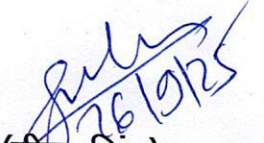
बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं० - 4 (1) क्रय-02/2024- 4327

/ पटना - 15, दिनांक - 26/ 9 /2025

केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार विभाग में सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति किये जाने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं/सर्विस प्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक-22.09.2025 के पश्चात् आपूर्तित सामग्री/सेवा के निमित्त भुगतान हेतु प्राप्त विपत्र पर नवीनतम GST स्लैब के अनुसार विपत्र में GST चार्ज करते हुए विपत्र उपस्थापित करेंगे।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(मीठा सिंह)

सरकार के अपर सचिव।